

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर
पत्रांक 5394/14-1 बिजनौर दिनांक 28 मई, 2024
सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

आनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/143597/2021

विषय:- जनपद बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-119) from 2 lane to 2 lane paved shoulder from existing chainage 120.90 to 137-760 (Design Change 120.900 to 137.800) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5866 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय एकीकृत कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०६/२५७/२०२२/एफ.सी./२५ दिनांक २२.०४.२०२४ एवं प्रधान मुख्य वन्य जीव,उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-३२४४/२६-११ (नजीबाबाद-कोटद्वार रोड (एन०एच० -११९)) दिनांक २१.०५.२०२४

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-२१ का अनुपालन निम्नप्रकार प्रेषित है:-

Obs.No.	Obesrvation	Reply
1	2	3
1	As Per Condition No.- 21 of In Principal Approval. Site Specific Wild Life Conservation Plan.	प्रधान मुख्य वन्य जीव,उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-३२४४/२६-११ (नजीबाबाद-कोटद्वार रोड (एन०एच०-११९)) दिनांक २१.०५.२०२४ द्वारा Wildlife Conservation/Mitigation Measures Plan की प्रमाणित छायाप्रति पर अनुमोदन कार्यालय पत्रांक १५३५/२६-११ नजीबाबाद-कोटद्वार/(एन०एच० -११९) दिनांक ८.११.२०२२ द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सशर्त सहमति के आधार पर प्रदान की गयी है। (संलग्नक-१)

अतः उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी लखनऊ को भेजने की कृपा करे।
संलग्नक :-यथपरि

भवदीय
(अरुण कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर

पत्रांक 5394/15-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई नजीबाबाद को आनलाइन अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- 3244 /26-11 (नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119)) लखनऊ: दिनांक: 21 मई, 2024
सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय:- जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मेरठ द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 2 lane to 2 lane paved Shoulder from Existing Chainage 120+900 to 137+760 (Design chainage 120+900 to 137+760) के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5866 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/143597/2021)

सन्दर्भ:- 1-आपका पत्रांक-1081/14-1, दिनांक 04.10.2022, पत्रांक-1434/14-1, दिनांक 07.11.2022, पत्रांक-2616/14-1, दिनांक 24.04.2024 एवं पत्रांक-2894/14-1, दिनांक 20.05.2024
2-इस कार्यालय का पत्रांक-1535/26-11 (नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग / (एन0एच0-119), दिनांक 08.11.2022, पत्रांक-3210/26-11 (नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119), दिनांक 16.05.2024

महोदय,

आप अवगत हैं कि विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/257/2022/एफ.सी./483, दिनांक 08.09.2022 द्वारा उठाई गई आपत्तियों में आपत्ति बिन्दु संख्या-1, ".....concurrence of CWLW is required for any measures required to be undertaken for Wildlife protection" के निस्तारण के सम्बन्ध में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 04.10.2022 के साथ संलग्न प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर के पत्रांक-748/14-1, दिनांक 03.10.2022 द्वारा प्रेषित आख्या एवं आपके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 07.11.2022 के साथ संलग्न उप वन संरक्षक, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद के पत्रांक-1262/24-1, दिनांक 07.11.2022 द्वारा प्रेषित रू० 2,40,31,062.00 (रूपया दो करोड़ चालीस लाख इकत्तिस हजार बासठ मात्र) के वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रस्ताव पर इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 08.11.2022 द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत वन्यजीव/हाथी बाहुल्य होने के दृष्टिगत वन्यजीवों/हाथियों के सुरक्षित वास स्थल, रख-रखाव व आवागमन, वन्यजीवों/हाथियों तथा जनसामान्य की परस्पर दिन-प्रतिदिन दैनिक-नैमित्तिक सुरक्षा व संरक्षा तथा जनता को जागरूक करते हुए वन्यजीवों/हाथियों के सम्बन्ध में सामान्य जानकारीयां, सूचनाएं एवं सावधानियां आदि से अवगत कराने के लिए बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत पड़ने वाले नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) में वन्यजीवों की उपस्थिति, वाहनों की गतिसीमा नियंत्रण आदि से सम्बन्धित सूचना का उल्लेख करते हुए साइनबोर्ड लगाए जाने का सुझाव दिया गया।


पुनः आपके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 24.04.2024 के साथ संलग्न प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर के पत्रांक-4840/15-1, दिनांक 23.04.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/257/2022/एफ.सी./759, दिनांक 13.12.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-21, "User agency shall provide requisite funds for site specific Wildlife Conservation/ Mitigation measures. U.P. State Govt. needs to review and submit the site specific Wildlife Conservation Plan" के क्रम में रू० 1,38,18,350.00 (रूपया एक करोड़ अड़तीस लाख अठारह

हजार तीन सौ पचास मात्र) का संशोधित Wildlife Conservation/Mitigation Measures Plan तैयार कराकर एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की दिनांक 23.04.2024 को आर0ए0सी0 की वी0सी0 में दिए गए निर्देश के क्रम में रू0 1,38,18,350.00 (रूपया एक करोड़ अड़तीस लाख अठारह हजार तीन सौ पचास मात्र) की उक्त संशोधित Wildlife Conservation/Mitigation Measures Plan की प्रमाणित छायाप्रति पर अनुमोदन प्रदान किए जाने हेतु इस कार्यालय से अनुरोध किया गया।

उक्त के परीक्षणोपरान्त इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 16.05.2024 के माध्यम से आप द्वारा प्रेषित रू0 1,38,18,350.00 (रूपया एक करोड़ अड़तीस लाख अठारह हजार तीन सौ पचास मात्र) के उक्त संशोधित Wildlife Conservation/Mitigation Measures Plan की प्रमाणित छायाप्रति को संस्तुति सहित इस कार्यालय के अनुमोदनार्थ/अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के क्रम में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 20.05.2024 के साथ संलग्न प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर के पत्रांक-5282/14-1, दिनांक 18.05.2024 द्वारा प्राप्त रू0 01,38,18,350.00 (रूपया एक करोड़ अड़तीस लाख अठारह हजार तीन सौ पचास मात्र) की संशोधित Wildlife Conservation/Mitigation Measures Plan की प्रमाणित छायाप्रति सहमति सहित इस कार्यालय के अनुमोदनार्थ/अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया गया।

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/257/2022/एफ.सी./759, दिनांक 13.12.2022 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की उपरोक्त शर्त संख्या-21 एवं दिनांक 23.04.2024 को आर0ए0सी0 की वी0सी0 में दिए गए निर्देश के क्रम में आपके सन्दर्भित पत्र दिनांक 20.05.2024 द्वारा प्रेषित रू0 1,38,18,350.00 (रूपया एक करोड़ अड़तीस लाख अठारह हजार तीन सौ पचास मात्र) के उक्त संशोधित Wildlife Conservation/Mitigation Measures Plan की प्रमाणित छायाप्रति पर अनुमोदन इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 08.11.2022 द्वारा पूर्व में प्रदान की गई सशर्त सहमति के आधार पर प्रदान किया जाता है।

भवदीय,

(सिजय श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:- 3244 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, रुहेलखण्ड जोन, उत्तर प्रदेश, बरेली।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मेरठ।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।
4. उप वन संरक्षक, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद।


(सिजय श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

27/5/24

ई-मेल द्वारा

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक-2894 / 14-1, मुरादाबाद दिनांक, 20 / 05 / 2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव, उ०प्र०, लखनऊ।

विषय-

जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मेरठ, द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन०एच०-119) from 2 lane to 2 lane paved Shoulder from Existing Chainage 120+900 to 137+760 (Design chainage 120+900 to 137+760) के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5866 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या-
FP/UP/Road/143597/2021

संदर्भ:-

आपका पत्रांक-3210 / 26-11 दिनांक-16.05.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर के पत्रांक-5282 / 14-1 दिनांक 18.05.2024 द्वारा विषयगत प्रकरण में संशोधित Wildlife Conservation/Mitigation Measures Plan की प्रमाणित छायाप्रति अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को ई-मेल द्वारा प्रेषित की गयी है।

अतः विषयगत प्रकरण में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर से प्राप्त संशोधित Wildlife Conservation/ Mitigation Measures Plan धनराशि रू० 1,38,18,350.00 (एक करोड़ अड़तीस लाख अट्ठारह हजार तीन सौ पचास) की प्रमाणित छायाप्रति सहमति सहित आपके अनुमोदनार्थ/अग्रततर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक-2894 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 :- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मेरठ।

2 :- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बिजनौर।

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर

पत्रांक 5202/14-1 बिजनौर दिनांक मई, 18, 2023

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय:- जनपद बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-119) from 2 lane to 2 lane paved shoulder from existing chainage 120.90 to 137-760 (Design Chainge 120.900 to 137.800) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5866 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक 3210/26-11 (नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन०एच०-119)) दिनांक 16.05.2024 एवं आपका पृष्ठांकित पत्रांक आर-8620/14-1 दिनांक 17.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-21 में निम्न उल्लेख है:- User agency shall provide requisite funds for site specific Wildlife Conservation /Mitigation measures. U.P. State Govt. needs to review and shall submit the site specific Wildlife Conservation Plan. के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र संख्या-2112/14-1 दिनांक 24.03.2023 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर वृक्षारोपण वन प्रभाग नजीबाबाद से उक्त site specific Wildlife Conservation /Mitigation Measures. संशोधित मांगा गया। प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद वन प्रभाग, नजीबाबाद द्वारा पत्र संख्या-2635/22-1 दिनांक 27.03.2023 के माध्यम से मु० रू० 1.3818350 (एक करोड़ अड़तीस लाख अट्ठारह हजार तीन सौ पचास मात्र) संशोधित site specific Wildlife Conservation /Mitigation measures plan भेजा गया। इस कार्यालय के पत्र संख्या-2379/14-1 दिनांक 05.04.2023 में द्वारा परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई नजीबाबाद को भेजा गया।

परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई नजीबाबाद द्वारा पत्र संख्या-14313 दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से site specific Wildlife Conservation /Mitigation measures plan की संशोधित धनराशि मु० रू० 1.3818350 (एक करोड़ अड़तीस लाख अट्ठारह हजार तीन सौ पचास मात्र) की पेड स्लिप के साथ सूचना प्रस्तुत की गयी है।

अतः Wildlife Conservation /Mitigation Measures Plan की प्रमाणित प्रति संस्तुति सहित इस अनुरोध है के साथ प्रेषित की जा रही कि Wildlife Conservation /Mitigation Measures Plan की प्रमाणित प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ०प्र० लखनऊ को भेजने करने की कृपा करे।

संलग्नक:- Wildlife Conservation /Mitigation Measures Plan की प्रमाणित प्रति

भबदीय

(अरुण कुमार सिंह)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर।

पत्रांक /14-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई नजीबाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर।

कार्यालय: प्रभागीय नजीबाबाद बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद
पत्रांक 2635 / 22-1दिनांक नजीबाबाद 27 मार्च, 2023।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।

विषय:-

जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मेरठ
नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 2 lane to 2 lane p
shoulder (from Chainage 120+900 to 137+760) under Bharat
Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.5
संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर उपस्थित 5866 वृक्ष
पातन/ट्रांसप्लाट की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-

आपका पत्रांक 2112/14-1 दिनांक 24.3.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस प्रभाग के अन्तर्गत कौडिया रेंज की Site sp

wildlife Conservation Plan/Mitigation measures सशोधित कर प्रेषित की जा रही है।

सलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

पत्रांक /14-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद को उपनोक्तानुसार सूचनार्थ एवं 3
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

द्वारा प्राप्ति प्रमाणित

Divisional Director
Social Forestry Division
BIJNOR

प्रभागीय वनाधिकारी,
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

ole

साईट स्पेसिफिक वाइल्डलाइफ
कंजर्वेशन प्लान

(कौडिया रेंज)

बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद

दाया पाठे प्रमाणित

Divisional Director
Social Forestry Division
BIJNOR

प्रभाग एक दृष्टि में

- | | |
|----------------------------|--|
| 1- प्रभाग का नाम- | विजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद। |
| 2- जनपद का नाम- | विजनौर |
| 3- प्रभाग का मुख्यालय- | नजीबाबाद |
| 4- प्रभाग का पता- | शोभती मार्केट, कोतवाली रोड, नजीबाबाद,
जनपद- विजनौर |
| 5- प्रभाग का दूरभाष न० | 01341-232066 |
| 6- प्रभाग की रेजों का नाम- | 1- कौड़िया
2- साहनपुर
3- राजगढ़
4- साहूवाला
5- बड़ापुर |
| 7- प्रभाग का कुल क्षेत्रफल | 33399- हेक्टेयर |

दादा शर्मा

Divisional Director
Social Forestry Division
BIJNOR

1- प्रभाग का विवरण

बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद का समस्त क्षेत्रफल आरक्षित वन है। प्रभाग में खैर, सागौन, शीशम व साल आदि प्रजाति के बहुमूल्य प्रजातियों के वन विद्यमान हैं। प्रभाग का समस्त वन क्षेत्र उत्तर एवं पश्चिम में उत्तरांचल राज्य के पौड़ी एवं हरिद्वार जनपद से एवं पूर्व में बिजनौर जनपद के शेष भाग से घिरा हुआ है। प्रभाग का क्षेत्र सामान्यता मैदानी है किन्तु शिवालिक की पहाड़ियों के तल पर स्थित होने के कारण कुछ भाग असमतल एवं भावर की है। शेष भाग तराई- भावर की पट्टी बनाता है। यह एक वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है। यहां बाघ, तेंदुआ, हाथी, चीतल, जंगली सुअर, सांभर आदि वन्य जीव पाये जाते हैं। यह वन प्रभाग उत्तरांचल राज्य के कालागढ़ टाईगर रिजर्व तथा संरक्षित वन क्षेत्रों में बाघों, हॉथी तथा वन्य जीवों का आवागमन रहता है। उत्तरांचल राज्य के गठन के उपरान्त उत्तर प्रदेश का यह एक मात्र प्रभाग है जहां पर हाथियों की संख्या काफी है तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रभाग को शिवालिक हाथी रिजर्व में सम्मिलित किया गया है।

प्रभाग को प्रबन्धन की दृष्टि से 5 रेंजों में विभक्त किया गया है। इसमें 32 वीटें हैं। यह प्रभाग वन्य जीवों के अवैध शिकार के लिये भी अति संवेदनशील है तथा राज्य के संवेदनशील वन प्रभागों की सूची में आता है। इस प्रभाग की कौडिया रेंज अति संवेदनशील है।

कौडिया रेंज की सीमा उत्तराखण्ड के कोटद्वारा से लगी हुई। कौडिया रेंज के अंतर्गत वन्यजीवों का आवागमन बहुलता में होता है। इस रेंज के आरक्षित वन से होकर एन0एच0 119 तथा कोटद्वारा-नजीबाबाद रेलवे लाइन गुजरती है। रवासन-सोनानदी हाथी कॉरीडोर की इस रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र तथा एन0एच0 119 कोटद्वारा-नजीबाबाद रेलवे लाइन से होकर गुजरता है। इस कारण से कौडिया रेंज वन्य जीवों संरक्षण के दृष्टिगत अत्यधिक संवेदनशील है।

बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद के नियन्त्रणाधीन कौडिया रेंज क्षेत्र का क्षेत्रफल 6871.90 हेक्टेयर है तथा वन क्षेत्र में मुख्य वृक्ष प्रजाति साल, सागौन, शीशम, खैर आदि हैं तथा वन्य जीव प्रजाति में बाघ, तेंदुआ, हाथी, हिरन आदि मुख्य हैं। यहाँ के वनों में बहुमूल्य औषधीय प्रजातियाँ एवं जड़ी बूटियाँ यथा हरड़ बहेड़ा, ऑवला, जामुन, अर्जुन, अमलतास, बेल, ब्राम्ही, पीपल आदि प्रचुर मात्रा में हैं। प्रभाग के वन क्षेत्रों में प्रदेश के अन्य वन क्षेत्रों में प्रदेश के अन्य वन क्षेत्रों की अपेक्षा जंगली हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। कौडिया रेंज से लगे ग्रामों में हजारों लोग इन वनों से ईंधन जलौनी लकड़ी, चारा पत्ती, छप्पर छाने की घास, आदि जरूरतों हेतु वन क्षेत्र में आते रहते हैं। रेंज की सीमा पर काश्त की जमीन इस रेंज को और अधिक संवेदनशील बनाती है।

काशु जीव प्रभाग

Divisional Director
Social Forestry Division
BIJNOR

2- योजना के उद्देश्य :-

- 1- वन्य जीवों का संरक्षण।
- 2- मानव वन्य जीव द्वन्द्व रोकना।
- 3- भूमि कटान रोकना।
- 4- वन्य जीवों हेतु प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता कराया जाना।
- 5- वन्य जीवों के प्राकृतवासों का सुधार करना।
- 6- वन तथा वन्य जीवों के बावत आम नागरिकों में जनजागरूकता बढ़ाया जाना।
- 7- वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सूचना तंत्र एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विकास करना।
- 8- वन्य जीवों को उनके प्राकृतवासों के पास रखने हेतु प्राकृतिक जलश्रोतों का विकास करना।
- 9- जैव विविधता संरक्षण।
- 10- प्राकृतिक सम्पदा में बढ़ोत्तरी
- 11- जीवन की निरन्तरता बनाया रखना।

वना प्रो. विभागाध्यक्ष

Divisional Director
Social Forestry Division
BIJNOR

योजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का विवरण :-

1. वन मार्गों की मरम्मत— प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि क्षेत्र में सघन गस्त की जाये। प्रभाग का समस्त क्षेत्र तराई क्षेत्र होने के कारण अनेको नदिया वन क्षेत्र से गुजरती है तथा वर्षात में वन मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसकी मरम्मत कराया जाना वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण एवं सम्बर्धन हेतु अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु वन मार्गों के किनारे झाड़ी कटान कर मार्गों के नजदीक से श्रमिकों के द्वारा मिटी का भरण कर समतल कर निरीक्षण / गस्त हेतु उपयुक्त बनाया जाना।
2. पक्के वाटर होल का निर्माण—प्रभाग का समस्त वन क्षेत्र तराई भावर होने के कारण पानी नहीं रूकता है। गर्मी के समय जो प्राकृतिक रूप से पानी के संचय स्थल वन क्षेत्रों में उपलब्ध है वह सूख जाते हैं तथा हाथी एवं अन्य वन्य जीव पानी की तलाश में वन्य क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं जिससे वन्य प्राणियों से जान माल का खतरा बना रहता है तथा अनेको घटनाये मानव / पशु से वन्य जीवों के द्वन्द्व की होती रहती है। इस हेतु प्रभाग द्वारा पक्के वाटर होलो के निर्माण का प्राविधान किया जा रहा है, ताकि मानव वन्य जीव द्वन्द्व को कम किया जा सके।
3. पक्के वाटर होल में पानी की व्यवस्था हेतु सोलर ट्यूबल समरसेबल बोरिंग का निर्माण कार्य— गर्मी के समय प्राकृतिक रूप से पानी के संचय स्थल सूख जाते हैं तथा वन्य जीव पानी की तलाश में ग्रामीण इलाकों में भटक जाते हैं। इसके निदान हेतु यह प्राविधानित किया जा रहा है कि पक्के वाटर होलो में पानी की व्यवस्था हेतु सोलरी ट्यूबल बोरिंग का निर्माण किया जाये ताकि वन्य जीवों को पानी सुलभ हो सके।
4. कच्चे वाटर होलो का निर्माण— वन्य जीवों को पानी उपलब्ध कराने हेतु पक्के वाटर होलो की लागत अधिक होने के कारण यह सज्ञान में लिया गया है कि पक्के वाटर होलो के साथ साथ वन्य क्षेत्रों में कच्चे वाटर होल / छोटे तालाबों का निर्माण किया जाये। इस हेतु 20 मी० लम्बाई 10 मी० चौड़ाई एवं 2 मी० गहराई के छोटे कच्चे तालाब निर्माण का प्राविधान किया जा रहा है।
5. पक्के वाटर होलो हेतु पानी की व्यवस्था— गर्मी के समय प्राकृतिक रूप से पानी के संचय स्थल सूख जाते हैं तथा वन्य जीव पानी की तलाश में ग्रामीण इलाकों में भटक जाते हैं इसके निदान हेतु यह प्राविधानित किया जा रहा है कि पक्के वाटर होलो में प्रत्येक आठवें दिन दो टैंकर पानी प्रति वाटर टैंक भराया जाये ताकि वन्य जीवों को पानी सुलभ हो सके।

Dr. P. S. Yadav

Divisional Director
Social Forestry Division
BIJNOR

6. राजकीय वाहन की आवश्यकता एवं राजकीय वाहनों की मरम्मत एवं ईंधन पर व्यय :-
प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि क्षेत्र में सघन गस्त की जाये। वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वाहन उपलब्धता एवं रख-रखाव किया जाना आवश्यक है। निजी कारों से लगे वन क्षेत्रों में गस्त करने एवं वन्य जीवों को वन में खदेड़ने/भगाने हेतु स्टाफ को लाने ले जाने के लिये वाहन की आवश्यकता एवं मरम्मत आदि किया जाना आवश्यक है तथा ईंधन का क्य किये जाने हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी। प्रभाग के अन्तर्गत 05 रेंज है। राजगढ़ रेंज एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी हेतु 1-1 वाहन की आवश्यकता है।

7. कैमरा ट्रैप:- इस प्रभाग का क्षेत्र पूरब में उत्तराखण्ड राज्य की कालागढ़ टाइगर रिजर्व/कार्बेट टाइगर रिजर्व एवं पश्चिम में हरिद्वार वन प्रभाग /राजाजी राष्ट्रीय पार्क से मिला हुआ है। प्रभाग के वन क्षेत्र के बीचों बीच में राजस्व ग्राम भी है। वन्य जीव जैसे टाइगर, हाथी, अन्य वन्य जीव उत्तराखण्ड से इस प्रभाग की सीमा में प्रवेश करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को आवगमन करते हैं। जिससे कि वन्य जीव मानव द्वन्द की सम्भावना बनी रहती है। वन्य जीवों की निगरानी रखने हेतु इस प्रभाग द्वारा वन्य जीवों के आवगमन वाले अति संवेदनशील क्षेत्रों हेतु कैमरा ट्रैप क्य किया जाना नितान्त आवश्यक होने के कारण क्य किया जाना प्रस्तावित है।

8. वॉच टावर का निर्माण:- इस प्रभाग का क्षेत्र पूरब में उत्तराखण्ड राज्य की कालागढ़ टाइगर रिजर्व/कार्बेट टाइगर रिजर्व एवं पश्चिम में हरिद्वार वन प्रभाग /राजाजी राष्ट्रीय पार्क से मिला हुआ है। प्रभाग के वन क्षेत्र के बीचों बीच में राजस्व ग्राम भी है। वन्य जीव जैसे टाइगर, हाथी, अन्य वन्य जीव उत्तराखण्ड से इस प्रभाग की सीमा में प्रवेश करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को आवगमन करते हैं। जिससे कि वन्य जीव मानव द्वन्द की सम्भावना बनी रहती है। वन्य जीवों की निगरानी रखने हेतु इस प्रभाग द्वारा वन्य जीवों के आवगमन वाले अति संवेदनशील क्षेत्रों हेतु वॉच टावर का निर्माण कार्य किया जाना नितान्त आवश्यक है।

9. राजकीय आग्नेयास्त्र की मरम्मत एवं कारतूस क्य:- यह वन प्रभाग का समस्त क्षेत्रफल आरक्षित वन है। प्रभाग में खैर, सागौन, शीशम व साल आदि प्रजाति के बहुमूल्य प्रजातियों के वन विद्यमान है। प्रभाग का समस्त वन क्षेत्र उत्तर एवं पश्चिम में उत्तरांचल राज्य के पौड़ी एवं हरिद्वार जनपद से एवं पूर्व में विजनौर जनपद के शेष भाग से घिरा हुआ है। यह प्रभाग वन्य जीवों के अवैध शिकार के लिये भी अति संवेदनशील है तथा राज्य के संवेदनशील वन प्रभागों की सूची में आता है। अतः वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की ओर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता प्रभाग में रही है। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिये प्रभाग के अन्तर्गत उपलब्ध आग्नेयास्त्र की मरम्मत एवं कारतूसों का क्य किया जाना अति आवश्यक है।

कालागढ़ वन प्रभाग

Divisional Director

Social Forestry Division

BIJNOR

10. सोलर फैनसिंग का निर्माण:- कौडिया मानव वन्य जीवो द्वन्द हेतु अतिसवेदनशील वन प्रभाग है। उक्त कि रोकथाम हेतु सोलर फैनसिंग का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है।

11. सुरक्षा खाई का निर्माण:- इस प्रभाग का क्षेत्र पूरब में उत्तराखण्ड राज्य की कालागढ टाइगर रिजर्व/कार्वेट टाइगर रिजर्व एवं पश्चिम में हरिद्वार वन प्रभाग /राजाजी राष्ट्रीय पार्क से मिला हुआ है। प्रभाग के वन क्षेत्र के बीचो बीच मे राजस्व ग्राम भी है। वन्य जीव जैसे टाइगर, हाथी, अन्य वन्य जीव उत्तराखण्ड से इस प्रभाग की सीमा में प्रवेश करते हुए एक स्थान से दुसरे स्थान को आवगमन करते है। जिससे कि वन्य जीव मानव द्वन्द की सम्भावना बनी रहती है। कौडिया रेंज की नगीना, नजीबाबाद तहसील के आबादी के ग्राम कौडिया रेंज की सीमा से सटे है। ग्रामीणो की काश्त भूमि वन सीमा से मिली है जिस कारण कि वन्य जीव काश्त में चले जाते है तथा वन्यजीव एवं मानव संघर्ष की घटनाए घटित होती रहती है। तथा हाथियो द्वारा कृषको की फसल नष्ट किये जाने की काफी घटनाये प्रकाश में आ रही है। इसके निदान हेतु यह प्राविधानित किया जा रहा है कि वन सीमा से मिली हुई काश्त भूमि के समीप सुरक्षा खाई का खुदान किया जाये। ताकि हाथी एवं अन्य वन्य जीव निजी काश्त में न जा सके।

12. मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाए:- इस प्रभाग की कौडिया रेंज उत्तराखण्ड राज्य की पहाडी की तलहटी पर है। कौडिया रेंज के वन क्षेत्रो के अन्तर्गत मालन नदी, सुखरौ नदी, खौ नदी व रिवाडी नदी बहती है। वर्षात में पहाडी क्षेत्र से अत्यधिक पानी आने के कारण उक्त नदीयो द्वारा वन भूमि का कटाव किया जाता है। जिससे की वन सम्पदा का अत्यधिक नुकसान होता है। वन भूमि एवं वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु नदीयो के किनारे मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाए की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है।

कृष्ण प्रताप झा

4/9

Divisional Director
Social Forestry Division
BIJNOR

योजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	प्रस्तावित कार्यों का विवरण	योग:-	
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
2	वन मार्गों की मरम्मत	3	4
	पक्के वाटर होल का निर्माण	10	3,00,000
	पक्के वाटर होल में पानी की व्यवस्था हेतु सोलर ट्यूबवेल समरसेबल बोरिंग का निर्माण	2	6,00,000
	पक्के वाटर होल हेतु पानी की व्यवस्था	3	30,00,000
	वाहन, वाहन की मरम्मत एवं ईंधन पर व्यय	ल०स०	50,000
	कैमरा ट्रेप	ल०स०	30,00,000
	वॉच टावर का निर्माण	5	2,50,000
	राजकीय आग्नेयास्त्र की मरम्मत एवं कारतूस क्रय	5	15,00,000
	फायर लाईन	ल०स०	3,00,000
	सोलर फैनसिंग का निर्माण	10 कि०मी०	25,000
	सुरक्षा खाई का निर्माण	5 कि०मी०	21,25,000
	वन्य जीव रोकथाम व पकड़ने हेतु रस्सा आदि क्रय	15000 मी०	8,68,350
	वेटनरी केयर एवं पोस्टमार्टम आदि पर व्यय	ल०स०	50,000
	वन्य जीव द्वारा कृषकों की फसल क्षतिग्रस्त होने, वन्य जीव द्वन्द्व में घायल या मृत्यु होने पर अनुगृह धनराशि का भुगतान	ल०स०	5,00,000
	मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएं	ल०स०	10,00,000
	योग:-	5	2,50,000
			1,38,18,350

प्रभागीय वनाधिकारी
बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद

श्रीमान श्रीमान श्रीमान

वन प्रभागीय वनाधिकारी
श्री. वी. प्रभाग, बिजनौर

(रमेश चन्द्र)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुसादाबाद वृत्त, मुसादाबाद

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर
पत्रांक 1524 / 14-1 बिजनौर दिनांक सितम्बर, 2023

सेवा में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

10/10

विषय: - जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मेरठ द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एस0एच0-119) from 2 lane to 2 lane paved shoulder (from Chainge 120+900 to 137_760) under bharatmala Parijyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5866 वृक्षों के पातन/ट्रांसप्लान्ट की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की सैद्धान्तिक स्वीकृति संख्या-8बी/यू.पी./06/257/2022/एफ.सी./759 दिनांक 13.12.2022 महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपाल के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मेरठ द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एस0एच0-119) from 2 lane to 2 lane paved shoulder (from Chainge 120+900 to 137_760) under bharatmala Parijyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5866 वृक्षों के पातन/ट्रांसप्लान्ट की अनुमति के संबंध में। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की है जिसको संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी को भेजने हेतु निम्न प्रकार प्रेषित है:-

Sr. No.	Conditions	Status of Compliance
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्न-1)
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 55 ha. Degraded forest land in Compartment Chaura-8/, Range Ramgarh, District Sonbhadra (25.00n ha.), Devari Compartment No.04, Range Machi, District Sonbhadra (10.00 ha.) at the Cost of user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any Species may be avoided.	प्रभावित वनभूमि के बदले 55.00हे0 वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु 1,48,32,600/- का भुगतान यू0पी0 कैम्पा खाता संख्या-1509061143597246 में अंतरण किया जा चुका है जिसका विवरण परिवेश पोर्टल पर भी उपलब्ध है तथा छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। (संलग्न-2)
3.	The cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation at the prevailing wages rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in	वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्न-3)

	advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	
4.	<p>The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 27.33 ha forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 10.10.02, 01.08.03, 28.03.08, 24.04.08 and 09.05.2008 in IA No.566 in WP (C) No.202/1995 and as per guidelines issued by the Ministry vide letters No.5-1/1998 FC (Pt. II) dt. 18.09.03 as well as letter No.5-2/2006 FC dated 03.10.06 and 5-3/ 2007 dt. 05.02.09 in this regard.</p> <p>Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.</p>	<p>मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 की IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 साथ ही साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 06.02.2022 व 19.01.2022 के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बिजनौर द्वारा वांछित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) रु 3,36,77,365/- का भुगतान ई-पेमेंट पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश कैम्पा खाता सं० 1509061143597246 में जमा कराया जा चुका है, जिसकी छाया प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।</p>
5.	<p>Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.</p>	<p>वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्न-4)</p>
6.	<p>User agency shall restrict the felling to 5866 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the state Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User agency with the State Forest Department.</p>	<p>वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्न-5)</p>
7.	<p>The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.</p>	<p>वांछित FRA प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जा चुका है। (संलग्न-6)</p>
8.	<p>No Violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be provided.</p>	<p>शर्त प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।</p>

9.	Plantation shall be raised on both sides of the road and median by the State Forest Department at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA No. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.15. Scheme for roadsides plantation shall be submitted.	चूकि उक्त परियोजना वनक्षेत्र से होकर गुजर रही है जिसमें परियोजना निर्माण हेतु ROW (30 mtr) के साथ ही अवगत कराना है कि परियोजना के अर्न्तगत केवल विद्यमान सडक का 2-लेन चौडीकरण का कार्य प्रस्तावित है व किसी प्रकार का मीडियन नहीं बनाया जाना है अतः उक्त परियोजना में Avenue & Median Plantation किया जाना सम्भव नहीं है।
10.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Area/Forest area.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्न-7)
11.	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendation of CWLW/NBWL/FAC/REC.	सन्दर्भित परियोजना में लागू नहीं है।
12.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provision of the Environmental (Protection) Act.1986 .if applicable.	सन्दर्भित परियोजना में लागू नहीं है।
13.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्न-8)
14.	No labour camp shall be established on the forest land.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्न-9)
15.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source alternate fuel.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्न-10)
16.	The boundary of diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project Cost, as per the direction of the Concerned Divisional Forest Officer.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्न-11)
17.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्न-12)
18.	The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with	सन्दर्भित परियोजना में लागू नहीं है।

	period of lease to be granted in favour of the User Agency or the project life whichever is less.	
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्न-13)
20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of India.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्न-14)
21	User agency shall provide requisite funds for site specific Wildlife Conservation/Mitigation measure. U.P. State Govt. needs to review and submit the site specific Wildlife Conservation Plan.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन-प्रभाग, बिजनौर द्वारा Specific Wildlife Conservation plan के कम वांछित रु 1,38,18,350/- का भुगतान भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा ई-पेमेन्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश कैम्पा खाता सं0 CAMPAUP61143597300 में जमा कराया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। (संलग्न-15)
22	User agency shall construct the project within diverted land as per IRC specifications duly incorporating road safety measures.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्न-16)
23	The KML file of the area to be diverted the CA areas the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite detail before Commencement of work.	शर्त नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बन्धित है।
24	Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।
25	Violation of any of these condition will amount to violation of Forest (Conservation) Act.1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्न-17)
26	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्न-18)

27	All the Funds received from the user Agency Under the Project shall be transferred /Deposited to Campa Fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0-नजीबाबाद (प्रयोक्ता एजेंसी) द्वारा सभी फण्डस ई-पेमेन्ट जनित चालान के माध्यम से कैम्पा में जमा किये जा चुके हैं।
28	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्न-19)

भवदीय

(अरुण कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर।

पत्रांक /14-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1:- परियोजना निदेशक क्रियान्वयन ईकाई नजीबाबाद को उनके सन्दर्भ पत्र संख्या-14780 दिनांक 21. 08.2023 के क्रम में इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्या को आनलाईन अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

2:- क्षेत्रीय वन अधिकारी नजीबाबाद।

(अरुण कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर।



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)



परियोजना कार्यान्वयन ईकाई - नजीबाबाद | Project Implementation Unit-Najibabad

मो न0-3ए/2, प्रथम तल, सिद्धबली विहार कॉलोनी, कोतवाली रोड, नजीबाबाद, बिजनौर (3090) | H.No.-3A/2, 1st Floor, Siddhali Vihar Colony, Kotwali Road, Najibabad, Bijnor (UP)

दूरभाष/Phone : +91-1341-230162 | ई-मेल/E-mail: piunajibabad@nhai.org | वेबसाइट /Website : www.nhai.org
पत्रांक: भा.रा.रा.प्रा./प.का.इ.-नजी./रा.रा.-119/66009/वन प्रकरण(बिजनौर)/2016/14780 दि.21.08.2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिकी वानिकी वन प्रभाग,
जनपद-बिजनौर।

आवश्यक/महत्वपूर्ण
ई-मेल द्वारा

- विषय:** उ0प्र0 एवं उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग-119, नजीबाबाद-कोटद्वार, भाग के 2-लेन से 02-लेन सह स्कन्ध चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण विषयक।
- जनपद-बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद - कोटद्वार मार्ग (एन0 एच0-119) From 02 Lane Paved Shoulder (from Km. 120.900 to Km. 137.760) under Bharatmala Pariyojna (Lot - 4/Package - 2) के चौड़ीकरण /सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5866 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के संबंध में।

(Online Proposal No. FP/UP/ROAD/143597/2021)

- संदर्भ:**
1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू.पी./06/257/2022/एफ.सी./759 दिनांक 13.12.2022
 2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर का पत्रांक 3124/14-1 दिनांक 20.06.2023
 3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर का पत्रांक 665/14-1 दिनांक 19.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया आपके कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 20.06.2023 व 19.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद-बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद- कोटद्वार मार्ग (एन0 एच0-119) From 02 Lane Paved Shoulder (from Km. 120.900 to Km. 137.760) under Bharatmala Pariyojna (Lot - 4/Package - 2) के चौड़ीकरण /सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर-वानिकी कार्य हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तित वन भूमि प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसकी बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार है:

S.N	Condition imposed in Stage-I approval	Compliance/Comment
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्नक-1)
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 55.00 Ha. Degraded forest land in Compartment Chaura-8, Range Ramgarh, District- Sonbhadra (25.00 Ha.), Devari Compartment No.04, Range Machi, District- Sonbhadra (10.00 Ha.) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	प्रभावित वनभूमि के बदले 55.00 है0, वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹1,48,32,600/- का भुगतान यू0पी0 कैम्पा खाता संख्या-1509061143597246 में अंतरण किया जा चुका है जिसका विवरण परिवेश पोर्टल पर भी उपलब्ध है तथा छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। (संलग्नक -2)
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include	वचनबद्धता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्नक -3)

S.N	Condition imposed in Stage-I approval	Compliance/Comment
	appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	
4.	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 27.33 Ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No.202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No.5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No.5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 की IA No.566 in WP(C) No.202/1995 साथ ही साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 06.02.2022 व 19.01.2022 के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिकी वानिकी वन प्रभाग, बिजनौर द्वारा वांछित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) ₹3,35,77,365 /- का भुगतान ई-पेमेंट पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश कैम्पा खाता सं०1509061143597246 में जमा कराया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। (संलग्नक-2)
5.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्नक-4)
6.	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है। (संलग्नक-5)
7.	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	वांछित FRA प्रमाण-पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जा चुका है। (संलग्नक-6)
8.	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.	शर्त प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।
9.	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no.27/2015 in the matter of Babulal Jaju V/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.	चूंकि उक्त परियोजना वनक्षेत्र से होकर गुजर रही है जिसमें परियोजना निर्माण हेतु ROW (30 mtr) के साथ वनभूमि का हस्तांतरण किया गया है। तथा साथ ही अवगत कराना है कि परियोजना के अन्तर्गत केवल विद्यमान सड़क का 2-लेन चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है व किसी प्रकार का मीडियन नहीं बनाया जाना है अतः उक्त परियोजना में Avenue & Median Plantation किया जाना सम्भव नहीं है।
10.	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है।(संलग्नक-7)
11.	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	सन्दर्भित परियोजना में लागू नहीं है।
12.	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	सन्दर्भित परियोजना में लागू नहीं है।
13.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है।(संलग्नक-8)

S.N	Condition imposed in Stage-I approval	Compliance/Comment
14.	No labour camp shall be established on the forest land.	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है।(संलग्नक-9)
15.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department of the Forest Development Corporation or any other legal source of alterate fuel.	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है।(संलग्नक-10)
16.	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground in the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है।(संलग्नक-11)
17.	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है।(संलग्नक-12)
18.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	सन्दर्भित परियोजना में लागू नहीं है।
19.	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है।(संलग्नक-13)
20.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है।(संलग्नक-14)
21.	The user agency shall provide requisite funds for site specific Wildlife conservation/Mitigation measures. U.P State Govt. needs to review and submit the specific Wildlife Conservation plan.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिकी वानिकी वन प्रभाग, बिजनौर द्वारा Specific Wildlife Conservation plan के क्रम में वांछित धनराशि ₹1,38,18,350/- का भुगतान भा0रा10रा0प्रा0 द्वारा ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश कैम्पा खाता सं0 CAMPAUP61143597300 में जमा कराया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। (संलग्नक-15)
22.	User agency shall construct the Project within diverted land as per IRC specifications duly incorporating road safety measures.	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है।(संलग्नक-16)
23.	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	शर्त नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बन्धित है।
24.	Any order of temporary work permission in case of linear Projects for tree cutting and commencement of work as per Clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।
25.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per MoEF&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dr.29/01/2018.	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है।(संलग्नक-17)

S.N	Condition imposed in Stage-I approval	Compliance/Comment
26.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है।(संलग्नक-18)
27.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in).	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0-नजीबाबाद (प्रयोक्ता एजेंसी) द्वारा सभी फण्ड्स ई-पेमेन्ट पोर्टल जनित चालान के माध्यम से कैम्पा में जमा किये जा चुके हैं।
28.	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न है।(संलग्नक-19)

अतः उपरोक्तानुसार सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र 05 मूल प्रतियों इस आशय से प्रेषित है कि विषयांकित परियोजना हेतु 27.33 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तित वन भूमि के हस्तांतरण की विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद सहित।

भवदीय

(आर० के० नागरवाल)
परियोजना निदेशक
पी०आई०यू०-नजीबाबाद,

संलग्नक: यथोपरि।

प्रतिलिपि:

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लखनऊ(उ०प्र०) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी-उत्तराखण्ड, भा०रा०रा०प्रा०, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मुरादाबाद (उ०प्र०) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20/08/23 / 01:37 AM Yaloo

RECEIVED BY E-MAIL

Dt. 21/08/23

By E-Mail Only

Amund

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर
पत्रांक 665/14-1 बिजनौर दिनांक जुलाई 19 2023
31/8

सेवा में

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
क्रियान्वयन इकाई नजीबाबाद।

विषय:- जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद
-कोटद्वार मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-119) from 2 lane to 2 lane paved shoulder from Existing Chainage
120,900 to 137,760 (Design Chainage 120,900 to 137,600) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रभावित
27.63 हेक्टेयर सरदिल वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5868 वृक्षों के पातन/ट्रांसप्लांट की
अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्र संख्या-44497 दिनांक 22.06.2023 एवं इस कार्यालय का पत्र संख्या-109/14-1 दिनांक 07.07.
2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे। जिसका माध्यम से आपके द्वारा संशोधित
अनुपालन आख्या भेजी है जोकि अपूर्ण है इस संबंध में त्रुटिरहित अनुपालन भेजने हेतु आपके कार्यालय सम्पर्क कर कर
श्री उनियाल जी को अवगत कराया गया है। पूर्व में भेजी गयी अनुपालन आख्या आपके कार्यालय सहायक द्वारा प्राप्त
कर ले गये है। अतः दिनांक 21.08.2023 को भारत सरकार द्वारा समीक्षा बैठक है अतः संशोधित आख्या तत्काल भेजना
सुनिश्चित करे ताकि अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जा सके।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर।

पत्रांक /14-1 उक्तदिनांकित
प्रतिलिपि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक को उनके पृष्ठांकित पत्र संख्या-आर-1333/14-1 दिनांक 18.08.2023 के क्रम में उपरोक्तानुसार
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर।

Amund / se 2
for nls
21/08/23

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर।

पत्रांक 3124/14-1 बिजनौर दिनांक जून, 20, 2023

सेवा में,

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन ईकाई नजीबाबाद।

विषय:- उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत, राष्ट्रीय राजमार्ग-119, नजीबाबाद-कोटद्वार भाग के 2-लेन से 02 लेन सह स्कन्ध चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण विषयक
- जनपद बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार (एन0एच0-119) From 02 lane to 02 lane paved Shoulder (from Km. 120.900 to 137+760) Under Bharatmala Pariyojna (Lot-/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5860 वृक्षों के पातन /ट्रांसप्लान्ट की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ :-आपका पत्रांक भा.रा.रा.प्रा./प.का.इ.-नजी./रा.रा.-119/09ए/वन प्रकरण (बिजनौर)/2023/14023 दिनांक 15.03.2023

महोदय

उपरोक्त विषय सन्दर्भित पत्र के द्वारा प्रेषित की गयी सैद्धान्तिक की अनुपालन आख्या में निम्न कमियां पायी गयी है जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

S.No.	Condition Imposed in Stage-I Approval	Compliance
7	The Complete Copliance of FRA Shall be ensured by way of prescribed From the Concerned District Collector.	FRA Certificate enclosed with Proposal.
9	Plantation shall be raised on both side of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User agency According to IRC Guidelines and order passed NGT in OA no.27/2015 in the matter of Babulal Jaju V/S State of Rajasthan and others date 16.112015 Road Side Plantation shall be submitted.	Avenue & Median Plantation Scheme बनाकर संलग्न करे।
21	User Agency shall Provided requisite funds for site Specific Wildlife Conservation /Mittigation measures. U.P. Staate Govt. needs to and submit the site specific Wildlife Conservation Plan.	जमा की गयी धनराशि का पूर्ण विवरण अंकित करे।
23	The KML file of the area to be diverted. the CA areas. the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on e-green watch Portal with all requisite details before commencement works.	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या का निराकरण भेजने का कष्ट करें ताकि सैद्धान्तिकी स्वीकृति की अनुपालन आख्या उच्च स्तर का भेजी जा सके।

(अरुण कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर।

पत्रांक 3124/14-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी बिजनौर को उनके द्वारा इन्गित की गयी कमियों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तराखण्ड) - मकान नं-58/37, बलबीर रोड़, देहरादून- 248001

Regional Office (Uttarakhand) - House No.-58/37, Balbir Road, Dehradun- 248 001

Phone : 0135-2669752 & 62 E-mail : routtarakhand@nhai.org Website : www.nhai.gov.in




No. 31063 /NHAI/RO-UKD/2014/18585

February 22, 2023

To,

**The Project Director,
PIU-Najibabad,
National Highways Authority of India,
Om Sai Daya Kunj, H.No.-3A/2,
Siddhali Vihar Colony, Kotwali Road,
Najibabad (U.P.) - 246763.**



Sub.: Authorization of Officer for online submission of Forest Land diversion proposal on MoEF&CC, Govt. of India for two projects namely 02-lane Paved Shoulder of NH-119 from Najibabad to Kotdwar in the district Bijnor of Uttar Pradesh & Kotdwar Bypass of NH 119 in the state of Uttar Pradesh and Uttrakhand - reg

Ref.: PD PIU Najibabad letter no. NHAI/PIU-NBD/NH-74/66037/Info.HQ&RO/13942 dated 22.02.2023.

Dear Sir,

With reference to above, as desired by you, kindly find enclosed herewith the desired authorization certificate in favor of you in respect of above mentioned subject.

Thanking you,

Yours faithfully,

(C.K Sinha)

RO-Uttarakhand

Encl: As above. (Authorization Certificate)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
झा. झा. प्रभाग, बिजनौर

प्रभागीय निदेशक
प्रशासनिक वानियंत्रण प्रभाग
बिजनौर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तराखण्ड) - मकान नं-58/37, बलबीर रोड, देहरादून- 248001

Regional Office (Uttarakhand) - House No.-58/37, Balbir Road, Dehradun- 248 001

Phone : 0135-2669752 & 62 E-mail : routtarakhand@nhai.org Website : www.nhai.gov.in



TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that National Highways Authority of India (NHAI) GoI has assigned task for Improvement and Upgradation to 2-lane Paved Shoulder of NH-119 from existing Km.120+900 to Km.138+635 (Design Ch.137+760), Uttar Pradesh/Uttarakhand border) in District Bijnor in the State of Uttar Pradesh.

In order to obtain the necessary forest clearance and wildlife clearance for the above said project road section, Sh. Rajkumar Nagarwal, Project Director in NHAI PIU-Najibabad is hereby authorized to upload the forest land diversion proposal on MoEF&CC, Government of India portal <https://parivesh.nic.in/> along with the requisites documents to the concerned department/agencies.

Signature of the Authorized Person is authenticated below.

Signature :

Name :

Rajkumar Nagarwal

Designation :

DGM (Tech) cum Project Director

परियोजना निदेशक /Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यू.पी.)
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

एच प्रशासकीय वनाधिकारी
घा० घा० प्रसाद, बिजनौर

(C.K. Sinha)

Chief General Manager (T)

Cum RO-Uttarakhand

क्षेत्रीय अधिकारी-उत्तराखण्ड
Regional Officer - Uttarakhand
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय)
(Ministry of Road Transport & Highways)
देहरादून/Dehradun

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक दानिकी प्रभाग
बिजनौर



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केंद्रीय वन, वन्य जीव संरक्षण एवं जलवायु विभाग, लखनऊ-226024
Kendriya Bhanu, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc.ziko-mef@nic.in

पत्र सं०: 8बी/यू0पी0/06/257/2022/एफ.सी./789

दिनांक: 13.12.2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/143597/2021

विषय: जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मेरठ द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 2 lane to 2 lane paved shoulder (from Chainage 120+900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojana (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5866 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक 1851/11-सी-FP/UP/Road/143597/2021
दिनांक 29.11.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, उ०प्र० शासन का पत्रांक पी-293/81-2-2022-800(301)/2022, दिनांक 31.08.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण को दिनांक 24.11.2022 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 73.1 U.P.) शामिल किया गया था। बैठक में प्रकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है। क्षेत्रीय सशक्त समिति की स्वीकृति उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मेरठ द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 2 lane to 2 lane paved shoulder (from Chainage 120+900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojana (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5866 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 55.00 ha degraded forest land in Compartment Chaura-8, Range Ramgarh, District Sonbhadra (25.00 ha), Devari Compartment No. 4, Range Machi, District Sonbhadra (20.00 ha) & Devari Compartment No. 4, Range Machi District Sonbhadra (10.00 ha) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 27.33 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.

उप प्रस्तावित वन अधिकारी
सा० सा० प्रभाग, बिजनौर

Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.

5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. User agency shall restrict the felling of trees to 5866 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
7. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
8. Certificate of 'No violation' of FCA from concerned DFO shall be provided.
9. Plantation shall be raised on both sides of the road and median by the State Forest Department at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA No. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015. Scheme for roadside plantation shall be submitted.
10. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.
11. The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.
12. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
13. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
14. No labour camp shall be established on the forest land.
15. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
16. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
21. **User agency shall provide requisite funds for site specific Wildlife Conservation/ Mitigation measures. U.P. State Govt. needs to review and submit the site specific Wildlife Conservation Plan.**

एव प्रस्ताविका व वनाधिकारी
हा. हा. प्रभाग, बिजनौर

22. User agency shall construct the project within diverted land as per IRC specifications duly incorporating road safety measures.
23. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
24. Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
25. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
26. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
27. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through (<https://parivesh.nic.in/>).
28. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>)

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
4. वन संरक्षक/मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
5. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बिजनौर।
6. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, मेरठ।
7. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

उप प्रभोगीय वन संरक्षक
सा० वा० प्रभाग, बिजनौर

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक दानिकी प्रभाग
बिजनौर

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

विषय: जनपद-बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 02 lane to 02 lane paved shoulder (from Km.120.900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UP/ROAD/143597/2021).

इस आशय कि वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति संरक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

दिनांक 15.03.2023

स्थान: नजीबाबाद

हय प्रशासनिक अधिकारी
डा० डा० प्रभाग, बिजनौर

015

प्रभागीय निदेशक
सांसात्तिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

(आर0के0 नागरवाल)
परियोजना निदेशक

परियोजना पी0आई0यू0-नजीबाबाद
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी0आई0यू0 नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यू.पी.)
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)



संतोष कुमार यादव, आईएएस
अध्यक्ष
SANTOSH KUMAR YADAV, IAS
CHAIRMAN



सत्यमेव जयते
75
आजादी का
अमृत महोत्सव

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
National Highways Authority of India
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS



भारत 2023
एक साथ एक परिवार एक भविष्य
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

DO No. NHAI/PIU-MRT/Forest/Naj-Kot/e-188192

February 10, 2023

Dear Sir,

I am writing in context of reconciliation of levies deposited in Ad-hoc CAMPA UP for Najidabad to Kotdwar Setion of NH-34 connecting Uttarkhand to the State of Uttar Pradesh through Kotdwar.

2. IRO, MoEF&CC Lucknow accorded "in-principle" approval on 13.12.2022 with certain conditions. Accordingly, DFO, Bijnor vide letter dated 19.12.2022 raised demand of total amount of Rs. 4,84,09,965/- towards NPV & CA and online generated challan for deposition of said amount.

3. However, the said amount has inadvertently been deposited by NHAI in other account of UP CAMPA (i.e. Account No. 1509061143597240 vide UTR No. CNRBR52022123196469077) on 31.12.2022 instead of UP CAMPA Account No. 1509061143597246 (copy of UTR details enclosed) and NHAI informed this fact to the concerned bank on 16.01.2023 with a request to credit the amount in correct UP CAMPA Account of the instant project. Branch Manager, FCS Centre, Union Bank of India, Bangalore informed that the said amount was credited to CAMPA is already been updated in Parivesh Portal and suggested to take up the matter with CAMPA Authorities (Copy enclosed).

4. Accordingly, NHAI requested CEO, CAMPA, New Delhi on 19.01.2023 to reconcile the said amount in the instant project specific on-line generated account no. 1509061143597246 instead of inadvertently deposited in Account No. 1509061143597240 (copy enclosed).

I would request to intervene in the matter and issue necessary directions to concerned officers to reconcile the amounts in correct project specific account, so that NHAI may proceed further to initiate the work without any further delay.

With Best wishes

Yours sincerely,


(Santosh Kumar Yadav)

Sh. Chandra Prakash Goyal
Director General of Forest & Special Secretary
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Indira Paryavaran Bhawan
Jorbagh Road, New Delhi - 110003

एप प्रशासक वन अधिकारी
छा० छा० प्रभाग, बिजनौर

प्रभागीय निदेशक
प्रशासनिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक  **Union Bank**
of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 26-12-2022

Agency Name.	NHAI PIU MEERUT
Application No.	61143597246
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/257/2022/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	A-1, Vaishno Dham, Near Gayatri Heights, Kankarkhera Meerut
Amount(In Rs)	48409865/-

Amount in Words :Four Crore Eighty-Four Lakh Nine Thousand
Nine Hundred and Sixty-Five Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following
details;**

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061143597246 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक  **Union Bank**
of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 26-12-2022

Agency Name.	NHAI PIU MEERUT
Application No.	61143597246
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/257/2022/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	A-1, Vaishno Dham, Near Gayatri Heights, Kankarkhera Meerut
Amount(In Rs)	48409865/-

Amount in Words :Four Crore Eighty-Four Lakh Nine Thousand
Nine Hundred and Sixty-Five Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following
details;**

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061143597246 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jellita Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , opurse@unionbankofindia.bank, ubln0903710@unionbankofindia.bank

एप प्रमाणीय वनाधिकारी
ए० हा० प्रभास, बिजनौर

प्रमाणीय निदेशक
सांसाजिक जातिकी प्रसास
बिजनौर

2	Najibabad section (NH-119) between Km 35+581 to Km 35+686) crossing of Anoop Shahaar Branch (at Km 30+491 of Upper Ganga Canal)	ROAD1435972021246	61143597246	14 Dec 2022	Other Charges3 : 0/- Total : 1364495/-		Transaction Date : 14 Mar 2023		
3	Development of section of NH-119 from 2-lane to 2-lane with paved shoulder under Bharatmala Pariyojana (Lot-4/Package-2) in District Bijnor, state of Uttar Pradesh.	ROAD1435972021246	61143597246	14 Dec 2022	CA: 14832600/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 33577365/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 48409965/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 26 Dec 2022 Bank Name : Union Bank of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 10 Mar 2023 Transaction Date : 31 Dec 2022	Demand Letter
3	Construction of a bypass of Najibabad connecting Haridwar-Najibabad Rd. to Najibabad-Kotdwar Rd. (NH-74 to NH-119) (Ch. 0+000 to Ch. 10+500) in Bijnor district, in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojana (Lot-4/Package-2)	ROAD1438332021910	61143833910	28 Sep 2022	CA: 1030000/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 147432/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1177732/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 10 Nov 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 10 Nov 2022 Transaction Date : 15 Nov 2022	Demand Letter Generated Challan
4	Forest land diversion proposal for providing additional facilities between	ROAD397122019082	6139712082	01 Jan 2020	CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 0/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Amount against additional : 1620850/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 01 Feb 2022 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 01 Feb 2022	Demand Letter Generated

सप प्रभागीय वन्यधिकारी
 सा० का० प्रभाग, बिजनौर

प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 बिजनौर

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

विषय: जनपद-बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 02 lane to 02 lane paved shoulder (from Km.120.900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UP/ROAD/143597/2021).

इस आशय कि वचनबद्धता दी जाती है कि यदि भविष्य में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम, अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्रयोक्ता एजेंसी) द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

दिनांक 15.03.2023

स्थान: नजीबाबाद

उप प्रमाणित नदनाधिकारी
डा० डा० प्रसांग, बिजनौर

(आर0के0 नागरवाल)

परियोजना निदेशक

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यू.पी.)
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

2/5

प्रभागीय निदेशक
सोसाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

विषय: जनपद-बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 02 lane to 02 lane paved shoulder (from Km.120.900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है० संरक्षित वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UP/ROAD/143597/2021).

इस आशय कि वचनबद्धता दी जाती है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) में बढ़ोतरी की जाती है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्रयोक्ता एजेंसी) द्वारा उसका अनुपालन किया जायेगा।

दिनांक 15.03.2023

स्थान: नजीबाबाद

उप प्रमुख वन अधिकारी
हा० धा० प्रभाग, बिजनौर

(आर०के० नागरवाल)

परियोजना निदेशक

पी०आई०यू०-नजीबाबाद
परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यू.पी.)
PIU- Najibabad, Dist.-Bijnor (U.P.)

215

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर



वचनबद्धता प्रमाणपत्र

विषय: जनपद-बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 02 lane to 02 lane paved shoulder (from Km.120.900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है० संरक्षित वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UP/ROAD/143597/2021).

इस आशय कि वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना से प्रभावित संरक्षित वन क्षेत्र अंतर्गत गैर-वानिकी कार्य हेतु प्रभावित 27.33हे. प्रत्यावर्तित वन भूमि में अवस्थित वृक्षों का पातन प्रभागीय लौगिंग प्रबंधक द्वारा वन विभाग की देख-रेख में कराया जायेगा, साथ ही साथ आवश्यक/न्यूनतम वृक्षों का पातन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

पेसा वन विभाग में प्रमाणित आ पातन

दिनांक 15.03.2023

स्थान: नजीबाबाद

उप प्रभागीय वनधिकारी
सा० सा० प्रभाग, बिजनौर

(आर०के० नागरवाल)

परियोजना निदेशक

पी०आई०यू०-नजीबाबाद

National Highways Authority of India
पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यूपी.)
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

C/S

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

FORM-I

(for-plantations on non-forest land and notified as " protected forest" on or after 13th December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[Rule6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh
Office of District Collector, Bijnor.

No. 95/144 Dated. 13/07/22

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014: Forest (Conservation) Second Amendment Rules 2014] and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that **27.33** Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **NHAI, PIU Meerut** for Construction of Entry/Exit section for retail outlet in the district falls within the jurisdiction of Bijnor District, Uttar Pradesh village(s) Bila Ahatali, Meerpur Dagra,,Mathurapurmore, Mohammad Taharpur,Jafrabad, Chatruwala, Sanywwall, Kodia, Rajpurkot in Najibabad tehsils having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011 it is further certified that:

(a) The Protected Forest (s) namely Construction of Najibabad – Kotdwar Section of **NH-119 from 2-lane to 2-lane with paved shoulder under from existing Chainage 120+900 to 138+635 (Design Chainage 120+900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojana Bijnor, state of Uttar Pradesh.-2.** involved in the above villages are plantations raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification no (s) **3208/XIV-dated-23-08-1955.**

(b) Therefore, these PFs neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (Residing in the PFs for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006.

Encl: As above.

(Dr. Anil Kumar Patel)
Divisional Director,
Social Forestry Division
Bijnor.
Divisional Director
Social Forestry Division
BIJNOR

(Umesh Mishra)
District Magistrate
Bijnor.
जमशेरी
मलाधिकारी, बिजनौर

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

विषय: जनपद-बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 02 lane to 02 lane paved shoulder (from Km.120.900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है० संरक्षित वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UP/ROAD/143597/2021).

इस आशय कि वचनबद्धता दी जाती है कि नियमित अंतराल मे गतिसीमा नियंत्रण साइन बोर्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्रयोक्ता एजेंसी) द्वारा प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे।

दिनांक 15.03.2023

स्थान: नजीबाबाद

एच प्रभागीय वन अधिकारी
घा० घा० प्रभाग, बिजनौर

(आर०के० नागरवाल)
परियोजना निदेशक

परियोजना निदेशक / Project Director
पी०आई०यू०-नजीबाबाद
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यूपी.)
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

८९

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

विषय: जनपद-बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 02 lane to 02 lane paved shoulder (from Km.120.900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है० संरक्षित वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UP/ROAD/143597/2021).

इस आशय कि वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि प्रस्ताव के लेआउट प्लान में भारत सरकार से अनुमति के बिना बदलाव नहीं किया जायेगा।

दिनांक 15.03.2023

स्थान: नजीबाबाद

उप प्रमाणिक वनाधिकारी
हा० हा० प्रभाग, बिजनौर

45

प्रमाणिक निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

(आर०के० नागरवाल)

परियोजना निदेशक

पी०आई०यू०-नजीबाबाद

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० नजीबाबाद, बिजनौर (उ०प्र०)
PIU- Najibabad, Distt-Bijnor (U.P.)

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

विषय: जनपद-बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 02 lane to 02 lane paved shoulder (from Km.120.900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UP/ROAD/143597/2021).

इस आशय कि वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि पर लेबर कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा।

दिनांक 15.03.2023

स्थान: नजीबाबाद

सप प्रभागीय वनाधिकारी
सा० सा० प्रभाग, बिजनौर

(आर0के0 नागरवाल)

परियोजना निदेशक

परियोजना निदेशक (Project Director)
पी0आई0यू0-नजीबाबाद
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी0आई0यू0 नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यूपी)
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

CL5

प्रभागीय निदेशक
सांसाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

विषय: जनपद-बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 02 lane to 02 lane paved shoulder (from Km.120.900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UP/ROAD/143597/2021).

इस आशय कि वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन वैध स्रोत के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

दिनांक 15.03.2023

स्थान: नजीबाबाद

रूप प्रस्तावित वनाधिकारी
का० दा० प्रभाग, बिजनौर

(आर0के0 नागरवाल)
परियोजना निदेशक

परियोजना निदेशक / Project Director
पी0आई0यू0-नजीबाबाद
National Highways Authority of India
पी0आई0यू0 नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यू.पी.)
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

एस

प्रस्तावित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

विषय: जनपद-बिजनौर में रा0रा0-74 के हरिद्वार-नगीना भाग के वर्तमान किमी0 30.000 से किमी0 30.965 (डिजाईन चैनैज 29.837 से 30.800) तक मोटर मार्ग के 4-लेन में चौडीकरण / निर्माण हेतु अतिरिक्त 0.752है0 आरक्षित वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UP/ROAD/41186/2019).

इस आशय कि वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्तित 27.33है0 वन भूमि का सीमांकन मौके पर प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार वन विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्रयोक्ता एजेंसी) द्वारा कराया जायेगा।

दिनांक 15.03.2023

स्थान: नजीबाबाद

उप प्रभागीय वनाधिकारी
डा० डा० प्रसाद, बिजनौर

(आर0के0 नागरवाल)
परियोजना निदेशक

परियोजना निदेशक (Project Director)
पी0आई0यू0-नजीबाबाद
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी0आई0यू0 नजीबाबाद, बिजनौर (उ०प्र०)
PIU- Najibabad, Dist.-Bijnor (U.P.)

C/S

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

विषय: जनपद-बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 02 lane to 02 lane paved shoulder (from Km.120.900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है० संरक्षित वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UP/ROAD/143597/2021).

इस आशय कि वचनबद्धता दी जाती है कि निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र की सीमा में अतिरिक्त अथवा नवीन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।

दिनांक 15.03.2023

स्थान: नजीबाबाद

उप प्रभागीय वनाधिकारी
हा० हा० प्रभाग, बिजनौर

(आर०के० नागरवाल)
परियोजना निदेशक

परियोजना निदेशक
भारतीय पी०आई०यू०-नजीबाबाद
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (यूपी.)
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

C/S

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

विषय: जनपद-बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 02 lane to 02 lane paved shoulder (from Km.120.900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UP/ROAD/143597/2021).

इस आशय कि वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि का उपयोग कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

दिनांक 15.03.2023

स्थान: नजीबाबाद

उप प्रभागीय वनधिकारी
छा० छा० प्रभाग, बिजनौर

(आर0के0 नगरवाल)

परियोजना निदेशक

पी0आई0यू0-नजीबाबाद

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी0आई0यू0-नजीबाबाद, बिजनौर (उ०प्र०)
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

2/5

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

विषय: जनपद-बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 02 lane to 02 lane paved shoulder (from Km.120.900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UP/ROAD/143597/2021).

इस आशय कि वचनबद्धता दी जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रस्तावित वन भूमि व उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को भारत सरकार से अनुमति के बिना हस्तान्तरित नहीं करेगा।

दिनांक 15.03.2023

स्थान: नजीबाबाद

उप प्रभागीय वनाधिकारी
जा० हा० प्रभाग, बिजनौर

4/5

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

(आर0के0 नागरवाल)
परियोजना निदेशक
पी0आई0यू0-नजीबाबाद
National Highways Authority of India
पी0आई0यू0 नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (उ०प्र०)
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/ROAD/143597/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/143597/2021) Development of section of NH-119 from 2-lane to 2-lane with paved shoulder under Bharatmala Pariyojana (Lot-4/Package-2) in District Bijnor, state of Uttar Pradesh.	ROAD1435972021300	61143597300	14 Dec 2022	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 0/-, Wildlife conservation/mitigation 13818350/- Other Charges1 0/- : : Other Charges2 0/- : : Other Charges3 0/- : : Total : 13818350/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 19 Apr 2023 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 16 May 2023 Transaction Date : 11 May 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fu Generated Challan (.
2	FP/UP/ROAD/152616/2022 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/152616/2022) Improvement and up-gradation to 4-lane configuration of Meerut-Nazibabad section (NH-119) between Km 35+581 to Km 35+686) crossing of Anoop Shahr Branch (at Km 30+491 of Upper Ganga Canal)	ROAD1526162022424	61152616424	28 Oct 2022	CA: 835832/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 528663/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 0/- : : Other Charges2 0/- : : Other Charges3 0/- : : Total : 1364495/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 10 Mar 2023 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 13 Mar 2023 Transaction Date : 14 Mar 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fu Generated Challan (.
3	FP/UP/ROAD/143597/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/143597/2021) Development of section of NH-119 from 2-lane to 2-lane with paved shoulder under Bharatmala Pariyojana (Lot-4/Package-2) in District Bijnor, state of Uttar Pradesh.	ROAD1435972021246	61143597246	14 Dec 2022	CA: 14832600/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 33577365/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 0/- : : Other Charges2 0/- : : Other Charges3 0/- : : Total : 48409965/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 26 Dec 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 10 Mar 2023 Transaction Date : 31 Dec 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fu

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 16-05-2023

Agency Name.	NHAI PIU MEERUT
Application No.	61143597300
State Code.	UP
Address.	A-1, Vaishno Dham, Near Gayatri Heights, KankerheraMeerut
Amount(In Rs)	13818350/-

Amount in Words :One Crore Thirty-Eight Lakh Eighteen Thousand Three Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUP61143597300
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 16-05-2023

Agency Name.	NHAI PIU MEERUT
Application No.	61143597300
State Code.	UP
Address:	A-1, Vaishno Dham, Near Gayatri Heights, Kankerhera Meerut
Amount(In Rs)	13818350/-

Amount in Words :One Crore Thirty-Eight Lakh Eighteen Thousand Three Hundred and Fifty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUP61143597300
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

विषय: जनपद-बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 02 lane to 02 lane paved shoulder (from Km.120.900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UP/ROAD/143597/2021)

इस आशय कि वचनबद्धता दी जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्रयोक्ता एजेंसी) द्वारा परियोजना का कार्य प्रत्यावर्तित वन भूमि के अंतर्गत IRC मानको के अनुसार किया जायेगा।

दिनांक 15.03.2023

स्थान: नजीबाबाद

उप प्रभागीय वनाधिकारी
डा० डा० प्रसाद, बिजनौर

(आर0के0 नागरवाल)

परियोजना निदेशक

पी0आई0यू0-नजीबाबाद

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
प्रीतमगंज, नजीबाबाद, बिजनौर (यूपी.)
PIU- Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

45

प्रभागीय निदेशक
संसाधनिक वानिकी प्रसाद
बिजनौर

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

विषय: जनपद-बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 02 lane to 02 lane paved shoulder (from Km.120.900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है० संरक्षित वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UP/ROAD/143597/2021).

इस आशय कि वचनबद्धता दी जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्रयोक्ता एजेंसी) द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्रयोक्ता एजेंसी) द्वारा नहीं किया जायेगा।

दिनांक 15.03.2023

स्थान: नजीबाबाद

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सा० बा० प्रभाग, बिजनौर

(आर०के० नागरवाल)
परियोजना निदेशक
पी०आई०यू०-नजीबाबाद

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू०-नजीबाबाद, बिजनौर (उ०प्र०)
PIU-Najibabad, Distt.-Bijnor (U.P.)

CS

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बिजनौर

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

विषय: जनपद-बिजनौर में तहसील नजीबाबाद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नजीबाबाद द्वारा नजीबाबाद-कोटद्वार मार्ग (एन0एच0-119) from 02 lane to 02 lane paved shoulder (from Km.120.900 to 137+760) under Bharatmala Pariyojna (Lot-4/Package-2) के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 27.33 है० संरक्षित वन भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UP/ROAD/143597/2021).

इस आशय कि वचनबद्धता दी जाती है कि वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण और विकास के हित में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कोई अन्य शर्त लगायी जाती हैं तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।

दिनांक 15.03.2023

स्थान: नजीबाबाद

राज्य सरकार - बिजनौर
सा. शा. प्रभाग, बिजनौर

(आर०के० नागरवाल)
परियोजना निदेशक
पी०आई०यू०-नजीबाबाद
परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
पी०आई०यू० नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (उ.पी.)
PIU- Najibabad, Dist.-Bijnor (U.P.)

C/S

प्रभागीय निदेशक
राज्य सरकार - बिजनौर
सा. शा. प्रभाग, बिजनौर